

भारत ने प्याज़ नरियात पर प्रतर्बिंध लगाया

प्रलिमिंस के लयि :

भारत ने प्याज़ नरियात प्रतर्बिंध लगाया, वदिश व्यापार महानदिशालय (DGFT), रबी और [खरीफ सीज़न](#), खाद्य सुरक्षा ।

मेंस के लयि:

भारत ने प्याज़ नरियात पर प्रतर्बिंध लगाया, पूरे भारत में गेहूँ वतिरण का वर्तमान परदिश्य ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में वदिश व्यापार महानदिशालय (DGFT) ने प्याज़ की नरियात नीतिको 'मुक्त' से 'नषिदिध' में **परविरतति करने की अधिसूचना जारी** करते हुए मार्च 2024 तक **प्याज़ नरियात पर प्रतर्बिंध** लगाने की घोषणा की है ।

- वर्ष 2022-23 रबी सीज़न के स्टॉक के जल्दी खत्म होने और त्योहारी मांग में वृद्धि के साथ-साथ अनुमानति कम [खरीफ](#) 2023 उत्पादन के कारण मौजूदा आपूर्ति की कमी के कारण प्याज़ की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- सरकार ने [गेहूँ](#) के लयि **स्टॉक सीमा को भी संशोधति** कयिा है, थोक वकिरेताओं के लयि स्टॉक सीमा को घटाकर 1,000 टन और खुदरा वकिरेताओं के लयि 5 टन कर दयिा गया है ।

सरकार ने प्याज़ के नरियात पर प्रतर्बिंध क्योँ लगाया है?

- मूल्य नयित्रण:**
 - प्याज़ के नरियात पर रोक लगाकर सरकार का लक्ष्य घरेलू बाज़ार में कीमतों में उछाल या उतार-चढ़ाव को रोकना है ।
 - बढ़ती कीमतों से नषिटने के लयि, केंद्र ने अक्टूबर 2023 में प्याज़ पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम नरियात मूल्य लगाया था । इससे पहले अगस्त में सरकार ने प्याज़ पर 40 फीसदी नरियात शुल्क लगाया था ।
 - प्याज़ की कीमत में महत्वपूर्ण असुथरिता का इतिहास रहा है और नरियात प्रतर्बिंध से कीमतों को सुथरि करने में मदद मलिति है, जसिसे स्थानीय उपभोक्ताओं के लयि यह अधिक कफियती हो जाता है ।
- कमी का समाधान:**
 - प्रतर्किल मौसम की सुथरिति, **कम उत्पादन या बढ़ी हुई मांग** जैसे कारकों के कारण देश में **प्याज़ की कमी** हो सकती है ।
 - नरियात पर प्रतर्बिंध लगाकर, सरकार यह सुनिश्चति करती है कि उपलब्ध आपूर्ति पहले घरेलू मांगों को पूरा करने के लयि नरिदेशति हो ।
- खाद्य सुरक्षा:**
 - प्याज़ भारतीय व्यंजनों का प्रमुख हसिंसा है और इसकी कोई भी कमी **खाद्य सुरक्षा** को प्रभावति कर सकती है । नरियात पर अंकुश लगाकर, सरकार यह सुनिश्चति करती है कि **आबादी को** कमी या अप्रभावी कीमतों का सामना कयि बिना यह **आवश्यक खाद्य पदार्थ** उपलब्ध हो ।

प्याज़ के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- प्याज़ अपने पाक प्रयोजनों और औषधीय मूल्यों के लयि विश्व भर में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण बागवानी उत्पाद है ।
- चीन के बाद **भारत प्याज़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है ।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमलिनाडु प्रमुख प्याज़ उत्पादक राज्य हैं ।
- वर्ष 2021-22 (तीसरा अग्रमि अनुमान) में **प्याज़ उत्पादन में महाराष्ट्र 42.53%** की हसिंसेदारी के साथ **प्रथम स्थान** पर है, उसके बाद 15.16% की हसिंसेदारी के साथ **मध्य प्रदेश** है ।

सरकार ने गेहूँ पर स्टॉक सीमा क्यों लगाई है?

- संशोधित स्टॉक सीमा का उद्देश्य गेहूँ स्टॉकिंग/भंडारण में शामिल संस्थाओं द्वारा जमाखोरी प्रथाओं को रोकना है। कड़ी सीमाएँ लगाकर, सरकार का इरादा इस बनावटी कमी को हतोत्साहित करना और वभिन्न हतिधारकों के बीच गेहूँ का उचित वितरण सुनिश्चित करना है।
- अत्यधिक जमाखोरी से आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन हो सकता है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है जो उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- गेहूँ के भंडार को वनियमित करने से यह सुनिश्चित होता है कदिश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बाज़ार में इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। यह कमी को रोककर और उपभोक्ताओं के लिये इस मुख्य खाद्य पदार्थ तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।

संपूर्ण देश में गेहूँ वितरण का वर्तमान परदृश्य क्या है?

- चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है कति गेहूँ के वैश्विक व्यापार में इसकी हस्सेदारी 1% से भी कम है। यह नरिधन वर्गों को सहायकी युक्त अनन उपलब्ध कराने के लिये इसका एक बड़ा हस्सा अपने पास रखता है।
- भारत में प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं।
- प्रमुख नरियात गंतव्य (2022-23): मुख्य रूप से गेहूँ का नरियात बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात एवं यमन गणराज्य को किया जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे अधिक उमर वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: B

??????:

प्रश्न. अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजयि कइिन भारी समस्याओं से नपिटने में क्रमिक सरकारों ने कसि सीमा तक प्रगतिकी है। सुधार के लयि उपाय सुझाइये। (2017)

प्रश्न. अनाज वतरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)